अनुमोदनार्थ

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या–2/सू0अ0–60–32/2014 गृ0आ0 /श्री अशोक कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास (सम्प्रति अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक, नवादा) के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के वाद सं0–87940/12–13, श्री नारायण गिरी बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज में दिनांक 08.10.2013 के पारित आदेश के आलोक में प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज, रोहतास को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19 (6)के अनुरूप प्रथम अपील आवेदन पर अपना निर्णय 30 (तीस) दिनों के अन्दर आवेदक को देना था तथा आयोग को भी अपने निर्णय से अवगत कराना था, परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास द्वारा निर्धारित तिथि तक इस अपील आवेदन पत्र का न तो निस्तार किया गया और न ही इसकी कोई जानकारी राज्य सूचना आयोग को दी गयी। जिसके लिए श्री दास के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं उनके लापरवाही परिलक्षित हुई।

2. गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना के ज्ञापन–3152 दिनांक 08.05.2015 द्वारा श्री दास को यह निदेश दिया गया था कि अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करें।

3. श्री दास द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के समीक्षोपरांत इनके बचाव अभिकथन के असहमत होते हुए सरकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, वायरलेस एवं टेकनिकल सर्विस, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा नियम 17 (5) (ग) के तहत प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना अपने स्तर से नियुक्त करेंगे।

4. श्री दास से अपेक्षा की जाती है कि ये संचालन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, वायरलेस एवं टेकनिकल सर्विस, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी एवं एक प्रति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को आरोप पत्र एवं बयाव अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/सू0अ0–60–32/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, वायरलेस एवं टेकनिकल सर्विस, बिहार, पटना/सह–संचालन पदाधिकारी बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास (सम्प्रति अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक, नवादा) को आरोप पत्र/प्रपत्र–'क' बचाव अभिकथन साक्ष्य सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि श्री अशोक कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास (सम्प्रति अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक, नवादा) को संकल्प की एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/सू0अ0–60–32/2014 गृ0आ0 8308 /पटना, दिनांक 18/10/2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/16

सरकार के उप सचिव।